



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP(C) No. - 27685/2023 [Heena Naz Vs. The Bihar Public Service Commission & Ors.] में दिनांक 17.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 04/2020) के अंतर्गत एक उम्मीदवार का अन्तिम परीक्षाफल


विज्ञापन संख्या - 04/2020 के अन्तर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षाफल दिनांक 10.10.2022 को प्रकाशित किया गया था। उसमें 04 उम्मीदवारों की LL.B. की योग्यता Registration की अंतिम तिथि के बाद का होने एवं Registration के समय उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणा करने के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP(C) No. - 27685/2023 [Heena Naz Vs. The Bihar Public Service Commission & Ors.] में दिनांक 17.01.2025 को आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता, अनुक्रमांक - 103171, हीना नाज की अनुशंसा किये जाने का आदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - 23434, दिनांक 27.12.2023 के आलोक में 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या - 23/2023) के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग की एक रिक्ति सुरक्षित रखे जाने संबंधी सूचना दिनांक 04.01.2024 को प्रकाशित की गयी थी।

आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP(C) No. - 27685/2023 [Heena Naz Vs. The Bihar Public Service Commission & Ors.] में दिनांक 17.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या - 04/2020) की उम्मीदवार, हीना नाज, अनुक्रमांक - 103171, संयुक्त मेधा क्रमांक - 312 को उक्त सुरक्षित रखी गयी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित करता है।

तिथि: 06 मार्च, 2025


परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना